कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 4154 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 06 / 05 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- **जनपद देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.: FP/UK/OTHERS/43838/2020)**

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/09/69/2023/एफ०सी०, दिनांक-04/02/2025 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या-2094/12-1, दिनांक-19.02.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृत निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्र संख्या-844/133/05, दिनांक-15.04.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। विषयांकित परियोजना में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको संस्तुति सहित निम्नवत अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क-राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।		
क्र०सं०	**सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त**	**अनुपालन आख्या**
1.	**प्रतिपूरक वनीकरण** **क.** प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.33 है० अवनत वन भूमि मोटीधार, बीट, मोटीधार पर 330 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या क- 1 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 330 पौधों के रोपण एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 6,42,840.00 (छः लाख बयालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र की धनराशि जमा कर दी गयी है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा।
	ख. प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त संख्या क- 1 (ख) के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उपरोक्त शर्त संख्या -1 (क, ख) एवं शर्त संख्या-ख-7 व 8 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-1)**

2.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** क. इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक- 30.10.2002, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006ए 5-3/2007-एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख. विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या क- 2 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 1,76,463.00 (एक लाख छियत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है। शर्त संख्या क- 2 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय की वचनबद्धतासंलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। **(संलग्नक- क- 2 ख)**
3.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 Saplings है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त सख्या क- 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। **(संलग्नक-क-3)**
4.	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेंगी।	शर्त सख्या क- 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन पत्र उपलब्ध कराया गया है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक-क-4)**
5.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेशों की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	शर्त संख्या क- 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-क-5)**
6.	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	शर्त संख्या क- 6 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-क-6)**
7.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या क- 7 के अनुपालन में एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक-क-7)**

8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	शर्त संख्या क- 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पौधारोपण योजना एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 6,42,840.00 (छः लाख बयालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र एवं 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 1,76,463.00 (एक लाख छियत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये) मात्र तथा वन्यजीव प्रबन्धन योजना हेतु ₹ 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्रव मृदा एवं जल संरक्षण योजना हेतु ₹ 1,50,000.00 (एक लाख पचास रुपये), कुल ₹ 14,69, 303.00 (चौदह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ तीन रुपये) मात्र की धनराशि ई-पोर्टल (https:parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता संख्या 1508919943838888 में RTGS UTR No. MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। परिवेश पोर्टल पर भुगतान संबंधी सूचना का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक-क-8)**
9.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या क- 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।
ख- राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-II से अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।		
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त संख्या ख-1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-ख -1)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या ख-2 क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। **(संलग्नक- ख-2)**
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या **ख-**3 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही उक्तानुसार मोटीधार बीट में 0.33 है० अवनत वन भूमि में 330 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों कर रखरखाव हेतु ₹ 6,42,840.00 धनराशि की योजना संलग्न है। **(संलग्नक—ख-3)**
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हों।	शर्त संख्या ख-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक- ख-4)**
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त , जहां लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त संख्या ख-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक- ख-5)**

6.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation / Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirement based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totalling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	शर्त संख्या ख-6 के अनुपालन में ₹ 5.00 लाख धनराशि का Wildlife Management Plan (WLMP) एवं ₹ 1.50 लाख धनराशि का Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) योजना संलग्न है, जिसके अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक- ख-6)**
7.	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त संख्या ख-7 के क्रम में उल्लिखित शर्त के पालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-1)**
8.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त संख्या **ख-8** के क्रम अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। **(संलग्नक-1)**
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या ख-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-9)**
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या **ख-10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। **(संलग्नक-ख-10)**
11.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या **ख-11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।**(संलग्नक-ख-11)**
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या **ख-12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।**(संलग्नक-ख-12)**
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या **ख-12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक—ख-13)**
14.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	शर्त संख्या ख-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-ख-14)**
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या ख-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।**(संलग्नक—ख-15)**

16.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या **ख-16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।**(संलग्नक- ख-16)**
17.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या **ख-17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-17)**
18.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबें का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या **ख-18** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-18)**
19.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या **ख-19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-19)**
20.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनयमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश(आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।	शर्त संख्या **ख-20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक—ख-20)**
21.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।	शर्त संख्या **ख-21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-21)**

अत: सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 4154/12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कुटुम्ब विहार, ग्रा.व पो. सिनौला, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला
देहरादून– 248003

Office of Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam Mussoorie
Kutumb Vihar, P.O. Sinaula
Dehradun -248003

Email:jalnigam.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक 844 / 133 /05 दिनांक 15/04/2025

मसूरी वन प्रभाग मसूरी
प्राप्ति संख्या 8455
पत्रावली संख्या 12
दिनांक 17/04/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

विषय :– **जनपद– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020)।**

संदर्भ :– **सैद्धान्तिक स्वीकृति की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/69/2023/एफ0सी0, दिनांक 04.02.2025**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति में विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है :–

क0सं0	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
01 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.33 है0 अवनत वन भूमि, मोटीधार, बीट मोटीधार पर 330 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	**शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा निर्गत पत्र सं0 3209/12–1 मसूरी, दिनांक 11.03.2025 **संलग्न है।**
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वोंच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	**शर्त संख्या–01 (ख)** यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
02 (क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या : 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.165 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त संख्या–02 (क)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के तहत 0.165है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए परिवेश पोर्टल पर चालान जनरेट कर उसका भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बेंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता सं0 1508919943838888 में रू0 14,69,303.00 का RTGS U.T.R. No MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा कर दिया गया है तथा भुगतान संबंधी सूचना को परिवेश पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है (पोर्टल पर सम्बन्धित पृष्ठ की स्क्रीन शॉट की **छायाप्रति संलग्न है।**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**शर्त संख्या–02 (ख)** प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा की बचनद्धता दी जाती है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
03	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की	**शर्त संख्या–03** के अनुपालन में वन भूमि में पेडों

	कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 saplings है) से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 saplings है) से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत का वहन उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी द्वारा किया जायेगा **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
04	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	**शर्त संख्या–04** के अनुपालन में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
05	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	**शर्त संख्या–05** यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
06	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–2 का अनुमोदन प्राप्त नही किया जाता है, तो राज्य वन विभाग का रोक देगा।	**शर्त संख्या–06** के अनुपालन में शाखा से सम्बन्धित नॉन लिनियर है।
07	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त संख्या–07** के अनुपालन में एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
08	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	**शर्त संख्या–08** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बेंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता सं0 1508919943838888 में रू0 14,69,303.00 का RTGS U.T.R. No MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा भुगतान कर दिया गया है तथा भुगतान संबंधी सूचना को परिवेश पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है (पोर्टल पर सम्बन्धित पृष्ठ की स्क्रीन शॉट की **छायाप्रति संलग्न है**।
09	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	**शर्त संख्या–09** के अनुपालन में, अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
10	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	**शर्त संख्या–10** के अनुपालन में, वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
11	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	**शर्त संख्या–11** निर्माण कार्य आरक्षित वन भूमि में किया जाना है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य निजी भूमि प्रभावित नही हो रही है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
12	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित	**शर्त संख्या–12** के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो

	मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करा दिया जायेगा। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
13	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	**शर्त संख्या–13** के अनुपालन में, राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
14	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	**शर्त संख्या–14** के अनुपालन में, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
15	The state Forest Department shall prepare wildlife mitigation/management plan (WLMP) or soil and moisture conservation plan (SMCP) at the cost of user agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	**शर्त संख्या–15** यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
16	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantion) में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	**शर्त संख्या–16** यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
17	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	**शर्त संख्या–17** के अनुपालन में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	**शर्त संख्या–18** के अनुपालन में, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
19	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	**शर्त संख्या–19** के अनुपालन में, वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
20	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	**शर्त संख्या–20** के अनुपालन में, वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)**।
21	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	**शर्त संख्या–21** के अनुपालन में, परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता

		अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
22	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	**शर्त संख्या–22** के अनुपालन में, वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
23	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	**शर्त संख्या–23** के अनुपालन में, वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
24	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	**शर्त संख्या–24** के अनुपालन में, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
25	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	**शर्त संख्या–25** के अनुपालन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
26	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	**शर्त संख्या–26** के अनुपालन में, **बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।**
27	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	**शर्त संख्या–27** के अनुपालन में, यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
28	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, यदि लागू हो।	**शर्त संख्या–28** के अनुपालन में राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमो, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, यदि लागू हो। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
29	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन	**शर्त संख्या–29** के अनुपालन में किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,

	माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	1980 का उल्लघंन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण राहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के सम्बन्ध में शाखास्तर की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आपके स्तर की अनुपालन आख्या इस आख्या के साथ सम्मिलित करते हुए विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संजीव वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 /133/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

प्रस्ताव का नाम :- **जनपद देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।**
(Online proposal No.: FP/UK/OTHERS/43838/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मसूरी रेंज के अन्तर्गत 0.33 है० अवनत वन भूमि मोटीधार बीट में चयनित किया गया है। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में प्रतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में निम्न कथनों की वचनबद्धता दी जाती है :-

1. यह कि उक्त परियोजना के एवज में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत 0.33 है० अवनत वन भूमि मोटीधार बीट में सैद्धांतिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों का के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा । **(शर्त संख्या-1 क)**
2. यह कि पोर्टल पर FCA Projects रजिस्टर किये जाने हेतु II stage Clearance Year का कॉलम Mandatory field है, जिस कारण प्रकरण में Stage II से पूर्व प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेंत्र एवं अन्य आवश्यक विवरण वर्तमान में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। शर्त संख्या-1 ख के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्त सभी विवरण ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। **(शर्त संख्या- 1ख)**
3. यह कि नवीनीकरण वन (संरक्षण) नियम, 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होना चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए, का पालन किया जायेगा। **(शर्त संख्या ख-7)**
4. यह कि उक्त सी०ए० क्षेत्र बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें। **(शर्त सं० ख -8)**

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी

बिन्दु सं0..... 02 (ख)

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा की बचनद्धता दी जाती है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

बिन्दु सं0..... 03

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 saplings है) से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत का वहन उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी द्वारा किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

बिन्दु सं0____ 04

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

शर्त संख्या- क-5 व क-6

प्रस्ताव का नाम :- **जनपद देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।**
(Online proposal No.: FP/UK/OTHERS/43838/2020)

प्रमाण पत्र

उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या क–5 व 6 के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है कि गाईडलाईन्स मे दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति को भारत सरकार को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण –II अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
.मसूरी

Form-II
For Non linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 21(2)

Dated 11.6.20

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 0.165 hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagar Palika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 61.. to ..64... annexure
2. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
3. The Nagar Palika Parishad Mussoorie has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Chairman Nagar Palika Parishad Mussoorie is enclosed as annexure ..61.. to..64... annexure.
4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Nagar Palika Parishad Mussoorie present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika Parishad Mussoorie have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Group and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Dehradun

जिलाधिकारी
देहरादून।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICTD DEHRADUN (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss....Dr. Ashish Kumar Srivastava Deputy commissioner Dehradun on dated.11.6.20 at time.....at.....which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 0.165 ha for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme. Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:...Dehradun
Dated:.....11.6.20

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level committee

जिलाधिकारी
देहरादून।

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद– देहरादून

पत्रांक 21(3) दिनांक – 11.6.20

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 4.6.20 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना में प्रस्तावित कैमलबेक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.165 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्तारव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.165 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

जिलाधिकारी
देहरादून।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पृ0.सं0
देहरादून

दिनांक

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

कायालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, मसूरी।

उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति,(तहसील–मसूरी) की दिनांक 24/02/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .....उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमनुसार है।

1. श्री/~~श्रीमती~~ .....उप जिलाधिकारी मसूरी अध्यक्ष
2. श्री/~~श्रीमती~~ .....अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् मसूरी सदस्य।
3. श्री/~~श्रीमती~~ .....उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी सदस्य।
4. श्री/श्रीमती .....सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर देहरादून सदस्य

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नगरपालिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

24/02/2020

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

◉Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/Others/43838/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/43838/2020) Mussoorie Sewerage Scheme(Camel back Zone STP)	OTHERS438382020888	199438388888	04 Feb 2025	CA: 642840/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 176463/-, wild life management : 500000/- soil and water conservation : 150000/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1469303/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Mar 2025 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Apr 2025 Transaction Date : 01 Apr 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12032025161214437O_FPUKOthers438382020_User_Fund_Demanded_67440.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS438382020888)

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) my GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Click on Generate Challan to generate challan

Paid : This icon shows that the payment has been deposited.

To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

S.no.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Status
	FP/UK/Others/43838/2020	OTHER-S438382020888	19943838888	Mussoone Sewerage Scheme(Camel back Zone STP)	Others	0.165	CONSTRUCTION DIVISION UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM MUSSOORIE	04-2-2025	28-3-2025	Paid	Paid

28°C Haze
Search
ENG IN
17:27 16-04-2025

शर्त - 8-5

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)		Payment Status	Payment Detail		Demand Letter
1	[illegible] Mussoone Sewerage Scheme(Camel back Zone STP)	OTHERS438382020888	19940838888	04 Feb 2025	CA: 642840/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 176463/- soil and water conservation : 150000/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1469303/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- wild life management : 500000/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Mar 2025 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Apr 2025 Transaction Date : 01 Apr 2025		Demand Letter Generated Challan

5-8

बिन्दु सं0..... 09

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-1

बिन्दु सं0..... 10

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

बिन्दु सं0..... 11

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य आरक्षित वन भूमि में किया जाना है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य निजी भूमि प्रभावित नही हो रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

रव-3

कार्य का नाम– जनपद देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।

प्राक्कलन बावत मोटीधार क0सं0 1बी के 0.33 है0 में 330 पौधों का वृक्षारोपण कार्य करना मसूरी रेंज, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	ल0	चौ0	ऊं0	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना।				0.33	है0	309.40	102.10
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना				0.33	है0	3273.20	1080.16
3	तीन वर्ष पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित				330	पौध	42.01	13863.30
4	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)				330	गड्ढा	0.91	300.30
5	गड्ढे खुदान	0.45	0.45	0.45	330	गड्ढा	39.00	12870.00
6	कन्टूर फरों का समरेखण				33	फर	1.78	58.74
7	कन्टूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी0 प्रति हे0)	3.00	0.45	0.30	33	फर	171.59	5662.47
8	दीवाल बन्दी या फेंसिंग कार्य	250	$\frac{0.60+0.45}{2}$	1.20	157.50	है0	964.60	151924.50
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (तीन बल्ब प्रति मीटर)प्र0से0				2250.0	बल्ब	1406.52	31646.70
10	पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित				330	पौध	17.78	5867.40
11	कन्टूर फरो में बीज बोना/कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण करना तथा कटिंग ढुलान सहित				33	फर	13.00	429.00
12	कंकड़–पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान करना	0.45	0.45	0.45	330	गड्ढा	4.55	1501.50
13	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित				330	पौध	5.75	1897.50
14	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी0 ऊपर उठाकर भरान कर दबाना तथा जमाना				33	फर	13.00	429.00
15	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा0 प्रति गड्ढा)/जैविकखाद/ जीवामृत/ कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित				330	पौध	2.02	666.60
16	निराई–गुडाई व मल्चिंग होईंग प्रथम व द्वितीय एवं वर्मिकुलाइट,पैरालाईट,फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत				330	पौध	14.05	4636.50
17	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक				9	माह		30780.00
18	अग्नि सुरक्षा कार्य							
18.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना				0.33	है0	643.46	212.34
18.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।				0.33	है0	379.57	125.26
19	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे–श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार–प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड व औजार क्रय / मरम्मत, डाक्यूमेंटेशन/ फोटोग्राफी आदि।						LS	10000.00
	योग–							**274053.37**
	अनुरक्षण काय–							
1	प्रथम वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,		लमसम		12	माह		41040.00
2	द्वित्तीय वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,		लमसम		12	माह		41040.00
3	तृतीय वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,		लमसम		12	माह		41040.00
4	चतुर्थ वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,		लमसम		12	माह		41040.00

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	ल0	चौ0	ऊं0	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
5	पंचम वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,	लमसम			12	माह		41040.00
6	षष्टम वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,	लमसम			12	माह		41040.00
7	सप्तम वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,	लमसम			12	माह		41040.00
8	अष्ठम वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,	लमसम			12	माह		41040.00
9	नवम वर्ष पौधों की देखरेख व रखरखाव, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं घेरबाढ़ की मरम्मत आदि कार्य करना,	लमसम			12	माह		41040.00
	कुल योग–							643413.37
	या रू0							642840.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

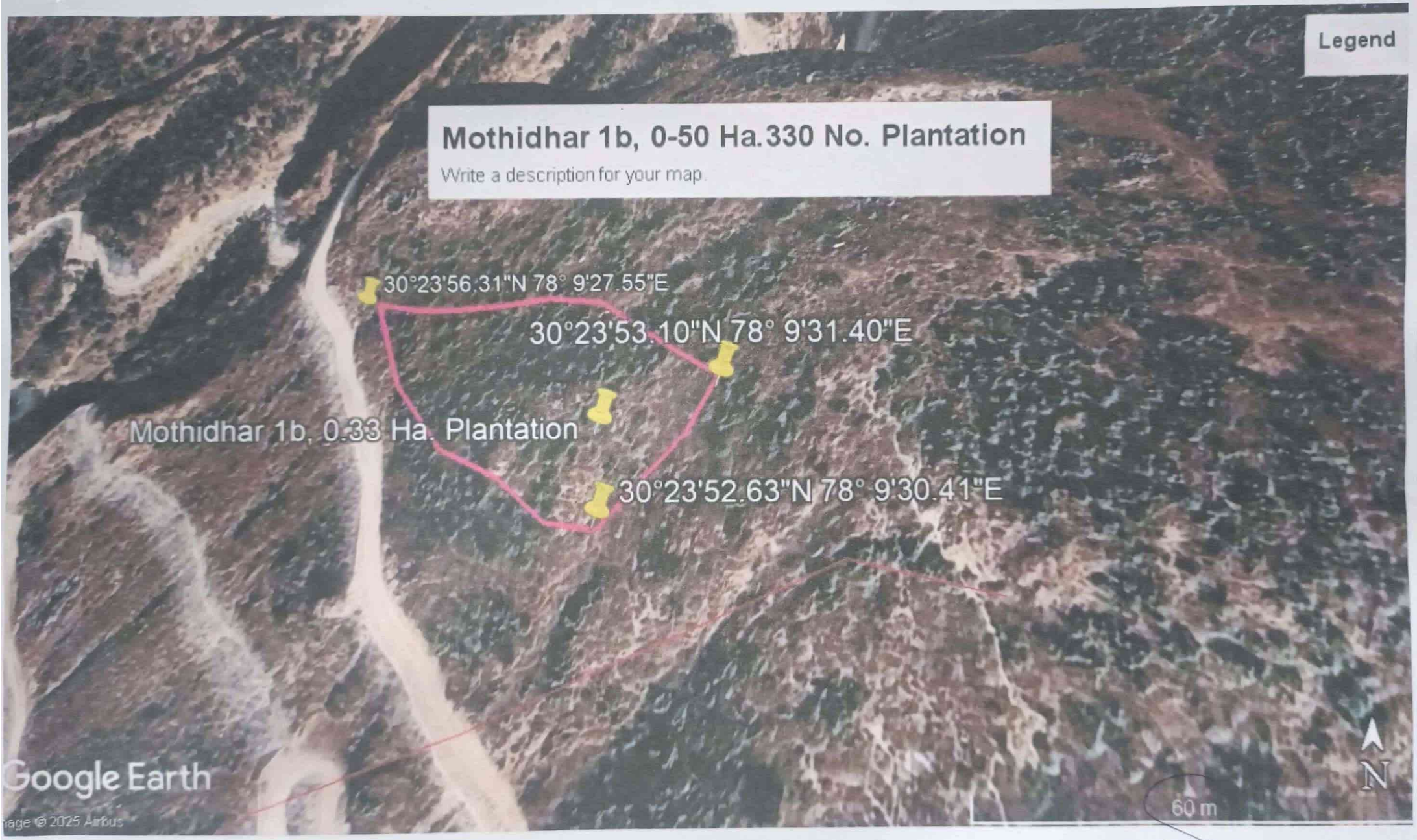

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राइवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि का प्रत्यावर्तन।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (F.C. Division), नई दिल्ली के आदेश संख्या File No.- 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक–06.01.2022 एवं File No.-5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक–19.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 (Net Present Value) की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी–	VI (Himalayan Moist Temperate Forest)
2. हरियाली का घनत्व.–	0.1 (OF)
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0–	10,69,470.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	0.165 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	0.165 है0 × 10,69,470.00= 1,76,462.55

या **Rs 1,76,463.00**

(एक लाख छिहत्तर हजार चार तिरसठे रू0 मात्र)

है0
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-4

बिन्दु सं0..... 13

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-5

बिन्दु सं0..... 14

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-9

बिन्दु सं0..... 17

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) I

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-10

बिन्दु सं0..... 18

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-11

बिन्दु सं0..... 19

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-12

बिन्दु सं0..... 20

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

रव-13

बिन्दु सं0..... 21

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

बिन्दु सं0..... 22

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख–15

बिन्दु सं0..... 23

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

बिन्दु सं0..... 24

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-17

बिन्दु सं0..... 25

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-18

बिन्दु सं0..... 26

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) ।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फैंका जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी

बिन्दु सं0..... 27

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020)।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी

ख-20

बिन्दु सं0..... 28

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) ।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, यदि लागू हो। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी

ख-2।

बिन्दु सं0..... 29

परियोजना का नाम :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी